तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी / एल.आर / 3011 / 2024 / नागौर** **छगनाराम बनाम सीता देवी**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकल–पीठ

श्री भवानी सिंह पालावत, सदस्य

उपस्थित :
श्री सोहनपाल सिंह चौधरी, अभिभाषक प्रार्थी

दिनांक : 23–05–2024

निर्णय

यह निगरानी अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 806 / 2024में पारित आदेश दिनांक 18–04–2024 के विरुद्ध धारा 84 सपठित धारा 9 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है।

प्रार्थी के अभिभाषक की बहस सुनी गई।

अभिभाषक प्रार्थी ने निगरानी मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि पटवारी हल्का एवं भू अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर अप्रार्थी संख्या 3 तहसीलदार, जायल द्वारा उपखण्ड अधिकारी जायल के न्यायालय में राजस्व प्रार्थना पत्र धारा 131 व 132 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 सपठित नियम 58, 59, 60, 66 व 86 नियम 1957 के अंतर्गत अप्रार्थी सं.1 व 2 के विरूद्ध प्रस्तुत किया जिसको मात्र पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं परिपत्र दिनांक 10–08–2016 के आधार पर ग्राम रूपनगर तहसील जायल में स्थित भूमि खसरा नंबर 574, 2108 / 578, 578 / 2022, 573 में से कदीमी रास्ता (ग्राम रूपनगर के खसरा नंबर 574 से शुरू होकर 577 तक) में संलग्न सूची, प्रपत्र–अ एवं नजरी नक्शा के अनुसार घोषित कर दिया जो कानूनी प्रावधानों के विपरीत है। इस कारण प्रार्थी द्वारा अतिरिक्त संभागीय आयुक्त के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की एवं साथ में स्थगन प्रार्थना पत्र भी पेश किया जिसकी सुनवाई की जाकर स्थगन प्रार्थना पत्र पर कोई आदेश ही पारित नहीं किया गया। उनका तर्क है कि प्रार्थी एवं तरतीबी अप्रार्थीगण के खातेदारी खेत खसरा नंबर 578 / 2022 एवं 573 को गैर मुमकिन

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी / एल.आर / 3011 / 2024 / नागौर** **छगनाराम बनाम सीता देवी**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	रास्ता घोषित कर दिया गया जबकि प्रार्थी के उक्त खातेदारी खेत में से कभी भी मौके पर कोई रास्ता अथवा पगडण्डी नहीं रही है तथा किसी भी खातेदारान द्वारा मौके पर आज तक इसका उपयोग एवं उपभोग कदीमी रास्ते के रूप में नहीं किया गया। इसके बावजूद मात्र पटवारी हल्का द्वारा एकतरफा में तैयार की गई मौका रिपोर्ट के आधार पर ही उपखण्ड अधिकारी जायल द्वारा गैर कानूनी निर्णय दिनांक 04–11–2022 पारित कर दिया गया। जिसके विरूद्ध प्रार्थी द्वारा अतिरिक्त संभागीय आयुक्त अजमेर के समक्ष अपील पेश की एवं साथ में स्थगन प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया जिसको स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजी की रेकार्ड, मौके की यथास्थिति कायम रखी जाना आवश्यक थी। परन्तु अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुनवाई किये जाने के पश्चात कोई आदेश ही पारित नहीं किया गया। इस प्रकार उन्होंने स्थगन प्रार्थना पत्र का ही निस्तारण कर दिया एवं अप्रार्थीगण को प्रार्थी की खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 678 / 2022 एवं 573 को खुर्द बुर्द करने की खुली छूट प्रदान कर दी। इसलिए आक्षेपित आदेश पूर्णतया अविधिक एवं त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 18–04–2024 निरस्त किया जावे एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने के आदेश प्रदान किये जावें। बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अतिरिक्त संभागीय आयुक्त ने आक्षेपित आदेश दिनांक 18–04–2024 द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र पर एकतरफा बहस सुनने के उपरांत रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी करने एवं अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया है, जो एक अंतरिम आदेश है एवं जिसके विरूद्ध निगरानी पोषणीय नहीं है किन्तु हम न्यायहित में आज की मौके व रेकार्ड की यथास्थिति रखते हुए तीस दिवस	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी / एल.आर / 3011 / 2024 / नागौर** **छगनाराम बनाम सीता देवी**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	में स्थगन प्रार्थना पत्र का निस्तारण करने हेतु अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय को निर्देशित करना उचित समझते हैं। अतः यह निगरानी ग्राह्यता के स्तर पर ही निर्णीत की जाकर आदेश दिये जाते हैं कि आज की मौके व रेकार्ड की यथास्थिति रखते हुए मौके पर यदि रास्ता चालू है तो चालू रहेगा। तद्नुसार रेकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखी जावे। साथ ही अतिरिक्त संभागीय आयुक्त अजमेर को निर्देशित किया जाता है कि उभय पक्ष को सुनकर तीस दिवस में स्थगन प्रार्थना पत्र का निस्तारण करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सुनाया गया। (भवानी सिंह पालावत) सदस्य	